



लोक सभा सचिवालय

शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (ईएंडएस) 2015/आईबी-5

दिसम्बर 2015

नदियों के अन्तर्गर्जन की योजना

प्राचीन काल से, मनुष्य अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल के प्रवाह का कुशलतापूर्वक प्रयोग करता रहा है। पिछली सदी के दौरान, जल संसाधनों का विकास मुख्य रूप से बढ़ती जनसंख्या की खाद्य, फाइबर और ऊर्जा संबंधी मांगों के कारण किया गया है। चूंकि, पूरे विश्व में स्वच्छ जल की धारा का विपथन और उसके उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है और चूंकि पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का 2.5 प्रतिशत भाग ही स्वच्छ जल है, इसलिए पूरे विश्व में इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के लिए एक सुविचारित दृष्टिकोण को लगातार स्वीकृति और अभिव्यक्ति प्राप्त हो रही है।

जल संसाधन : भारत की स्थिति

भारत में बड़े पैमाने पर जल संसाधन मौजूद हैं। देश में औसत वार्षिक सतही जल प्रवाह लगभग 1869 बिलियन घन मीटर¹ (बीसीएम) है। परंतु, देश के अलग-अलग भौगोलिक स्थलों और अलग-अलग समय पर स्वच्छ जल की उपलब्धता में बहुत अंतर है। यद्यपि, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4 प्रतिशत भूभाग और विश्व के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत भाग भारत के पास है तथापि, विश्व की कुल जनसंख्या

का एक बड़ा भाग अर्थात् 17.5 प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के महीनों के दौरान होती है और वर्ष का शेष भाग अपेक्षाकृत सूखा रहता है। इसके अतिरिक्त, सूखे की एक लंबी अवधि और मौसमी और वार्षिक वर्षा में उतार-चढ़ाव के साथ वर्षा की अनिश्चितता, भारत में एक गंभीर समस्या है। इसके परिणामस्वरूप, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में कम वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। जबकि, दूसरी ओर देश के कुछ अन्य भागों में अधिक वर्षा होने के कारण विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बेसिन में प्रति वर्ष लगातार बाढ़ आती है जिसके फलस्वरूप असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य प्रभावित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)² के एक अनुमान के अनुसार, भारत में 1990-2001 के दौरान बाढ़ और सूखे के कारण लगभग 4,604 मिलियन अमरीकी डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में तेजी से कमी आ रही है। वर्ष 1950 में प्रति व्यक्ति 5.20 ह. घन मीटर से कम होकर वर्ष 2001 में यह 1.82 ह. घन मीटर रह गई और 2011 में और कम होकर 1.55 ह. घन मीटर रह गई। वर्ष 2025 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घटकर 1.34 ह. घन मीटर होने की संभावना है।

भारत में सूखे और बाढ़ का प्रभाव

मूर्ति और अन्य (2010)³ के अनुसार वर्ष 1987 में पड़े सूखे से भारत में 58.6 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र बर्बाद हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप 285 मिलियन लोग प्रभावित हुए। 2001 के बाद देश को वर्ष 2002, 2004 और 2009 में तीन बार भयंकर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा। 2002 में पड़े सूखे से, 12 मिलियन हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गयी थी, जिससे लगभग 300 मिलियन लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ा। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए, राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही कोष (एनडीआरएफ) से 2010 से 2015 के दौरान विभिन्न राज्यों को 12190.95 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई⁴।

विश्व संसाधन संस्थान (2015)⁵ के अनुसार, किसी अन्य देश की तुलना में भारत को बाढ़ जोखिम के कारण स.घ.उ. में भारी क्षति होने की संभावना रहती है। एक अनुमान के अनुसार, बाढ़ के कारण प्रति वर्ष भारत को स.घ.उ. में होने वाली क्षति 2030 तक दस गुणा तक बढ़ सकती है। 2013 में मानसून के दौरान, बाढ़ से 1537 लोगों की मृत्यु हुई तथा 4748.60 करोड़ तक की आर्थिक क्षति हुई। 2012 से, भारत सरकार ने बारहवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में विभिन्न राज्यों को 572.85 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। इसमें से 30 जून, 2014 तक 341.92 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया⁶ यह बाढ़ आपदा के दौरान तत्काल कार्यवाही करने के लिए एनडीआरएफ के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त है।

¹ एक घन मीटर जल 1000 लीटर जल के बराबर होता है।

² नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम का आर्थिक प्रभाव, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद का प्रतिवेदन, अप्रैल 2008 (पृ. 4-5)

³ मूर्ति सी एस और शेशा साई एम वी आर, 2010 एग्रीकल्चरल ड्राट मानीटरिंग एंड असेसमेंट, इन राय पी.एस. द्विवेदी आरएस और विजयन डी (ईडीएस), "रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस" (पृ. 303-330), राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार।

⁴ दिनांक 18 मई, 2015 को कृषि मंत्रालय से प्राप्त जानकारी।

⁵ विश्लेषण में 2010 स.घ.उ. आंकड़ों का उपयोग किया गया।

⁶ लोक सभा तारकित प्र.सं. 321 दिनांक 31, जुलाई, 2014।

नदियों का अन्तर्व्योजन-उद्देश्य

पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है, जबकि, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ नदियां सूख जाती हैं जबकि कुछ अन्य नदियों से बड़े पैमाने पर जल बह कर समुद्र में मिल जाता है। इसके दृष्टिगत, नीति निर्माता, प्राथमिक रूप से बड़ी संरचनाओं का निर्माण करके पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र

की नदियों से मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर बहने वाले जल का उपयोग करके जल समस्या का समाधान करने की सोच रहे हैं। नदियों के अन्तर्व्योजन और लंबी दूरी तक अंतर-बेसिन जल अंतरण पर भी एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में विचार किया गया है। मूलभूत विचार देश में जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल को कम जल वाले नदी बेसिन क्षेत्रों तक पहुंचा कर जल का एक समान वितरण और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है।

अंतर-बेसिन जल अंतरण-उदाहरण

(एक) भारत:

- बड़े पैमाने पर जल अंतरण परियोजनाओं के अंतर्गत अनेक योजनाएं बनाई गईं और उनमें कुछ लागू की गईं। उनमें से पेरियार परियोजना, परंबिकुलम अलियार परियोजना, कुरनूल कुडप्पा नहर परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना और रावी-ब्यास-सतलुज-इंदिरा गांधी नहर परियोजना कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं।
- महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश प्रत्येक द्वारा स्वेच्छा से अपने हिस्से से 5 हजार मिलियन घन फीट जल छोड़ देने के कारण तेलुगु-गंगा परियोजना संभव हो पाई। यह परियोजना न केवल द्रवचालित (हाइड्रॉलिक) इंजीनियरिंग अपितु, अंतर-राज्यीय-सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संयोजन में ब्यास-सतलुज लिंक इस बात का एक पक्का उदाहरण है कि बड़े अंतर बेसिन जल अंतरण से किस प्रकार क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण में संपूर्ण सुधार लाने के साथ-साथ उसका समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास किया जा सकता है।

(दो) अन्य देश:

अन्य देशों में भी बड़े पैमाने पर जल अंतरण संबंधी योजनाएं बनाई गईं और लागू की गईं। उनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-

- अमरीका में कैलिफोर्निया की राज्य जल परियोजना के अंतर्गत जल की प्रचुरता वाले उत्तरी कैलिफोर्निया से जल के प्रवाह को बदलकर राज्य के सूखे मध्य और दक्षिणी भागों को जल उपलब्ध कराया जाता है।
- टेक्सॉस जल योजना के अंतर्गत टेक्सॉस और न्यू मैक्सिको में जल के पुनर्वितरण की परिकल्पना की गई है।
- कोलोराडो नदी (अमरीकी और मैक्सिको से होकर बहने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय नदी) के जल की आपूर्ति बेसिन से बाहर कैलिफोर्निया में इम्पीरियल घाटी में की जा रही है।
- कनाडा से अमरीका को जल के अंतरण सहित कनाडा में वर्तमान में अनेक अंतर-बेसिन जल अंतरण प्रणाली मौजूद हैं और कुछ का निर्माण किया जा रहा है।
- अनेक अंतर-बेसिन अंतरण लिंकों सहित श्रीलंका की महावेली-गंगा परियोजना।
- इरतिस-करगंडा योजना मध्य कजाकिस्तान में कार्यान्वित की जा रही एक उल्लेखनीय परियोजना है। अन्य प्रस्तावों में उत्तरी नदियों और यूरोपियन भाग की झीलों के जल संसाधनों का कैस्पियन सागर क्षेत्र को आंशिक पुनर्वितरण किया जाना शामिल है।
- चीन में 214 ईसा पूर्व में लिंगुवा नहर और 605 ईस्वी में ग्रांड नहर का कार्य पूरा हुआ। इसके अतिरिक्त, अनेक परियोजनाओं का कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। क्वीनतांग नदी जल प्रवाह का मार्ग परिवर्तन, येलो नदी के अतिरिक्त जल प्रवाह का मार्ग परिवर्तन और दक्षिण से उत्तर क्षेत्र को जल का अंतरण अन्य प्रस्तावित परियोजनाएं हैं।
- पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि कार्यों के एक भाग के रूप में नदी लिंकों का एक नेटवर्क तैयार किया है, जो कि उन क्षेत्रों को सिंचित करने के लिए प्रतिस्थापना लिंकों के रूप में कार्य कर रहा है, जो विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली की तीन पूर्वी नदियों अर्थात् सतलुज, रावी और ब्यास भारत को सौंपे जाने के बाद सिंचाई सुविधाओं से वंचित हो गए थे। पाकिस्तान ने संधि के बाद 1960-70 की अवधि के दौरान दस लिंकों, छह बैराजों और दो बांधों का निर्माण किया। निर्मित किए गए अधिकांश लिंक अनलाइंड चैनल हैं।

पूर्व प्रस्ताव

जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल के अंतरण हेतु एक राष्ट्रीय जल ग्रिड के निर्माण हेतु समय-समय पर सुझाव दिए गए हैं।

1. 19वीं शताब्दी में, तत्कालीन मद्रास रेजिडेंसी में कार्य कर रहे रॉयल इंजीनियर सर ऑर्थर कॉटन, जिन्होंने गोदावरी, कृष्णा और

कावेरी नदियों के जल का दोहन करने में अग्रणी भूमिका निभाई, ने अंतर्देशीय नौवहन और बेहतर परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे लिंकों का प्रस्ताव किया। तथापि, रेलवे के हित में उनकी योजनाओं को छोड़ दिया गया।

2. डॉ. के.एल. राव एक सुप्रसिद्ध इंजीनियर और तत्कालीन केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा 1972 में प्रस्तावित "राष्ट्रीय जल

ग्रिड के अंतर्गत बड़े पैमाने पर जल को पंप करने सहित, मुख्य घटक के रूप में गंगा-कावेरी लिंक की परिकल्पना की गई थी, परंतु, प्रस्ताव में बाढ़ नियंत्रण सुविधा का अभाव था।

3. इंडियन एयरलाइन्स के एक पायलट कैप्टन दिनशा जे. दस्तूर द्वारा 1977 में प्रस्तावित “गारलैंड कैनाल” के अंतर्गत दो नहरों के निर्माण की परिकल्पना की गई। इनमें से पहली कैनाल हिमालय

की ढलानों की तराई में पश्चिम में रावी नदी से शुरू होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र और उससे आगे तक जाने वाली “हिमालयन कैनाल” थी। दूसरी “गारलैंड कैनाल” के माध्यम से भारत के मध्य और दक्षिणी भागों को शामिल किया जाना था। दोनों कैनालों को अनेक झीलों के साथ जोड़ा जाना था तथा दिल्ली और पटना में दो स्थानों पर पाइपलाइनों के साथ जोड़ा जाना था।

नदियों के अन्तर्गर्जन (आईएलआर) संबंधी कार्यक्रम के संदर्भ में वर्तमान संस्थागत तंत्र

संवैधानिक उपबंध

भारत के संविधान में, जल अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल ऊर्जा, सूची-दो अर्थात् राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 17 में सम्मिलित विषय हैं। राज्य, अपने जल संसाधनों के विकास और उसके आवंटन के लिए जिम्मेदार हैं तथा सिंचाई हेतु राज्य विशिष्ट कानून मौजूद हैं। तथापि, यह प्रविष्टि सूची-एक अर्थात् संघ सूची की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है, जो कि संघ सरकार को जनहित में बांछनीय, संसद द्वारा विधि के माध्यम से घोषित सीमा तक अंतर्राज्यीय नदियों को विनियमित करने और विकसित करने की शक्तियां प्रदान करती है। संघ सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 262 के अधीन अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटी के जल से संबंधित किसी विवाद पर निर्णय लेने हेतु कानून बनाने का भी अधिकार है। सूची-तीन अर्थात् समवर्ती सूची (प्रविष्टि-20) के अंतर्गत “आर्थिक और सामाजिक आयोजना” के अंतर्गत भी जल का उल्लेख किया गया है और इसलिए यह राष्ट्रीय योजना में शामिल किए जाने हेतु केन्द्रीय स्वीकृति के प्रावधान के अधीन है।

राष्ट्रीय जल नीति

1987 में, जब राष्ट्रीय जल नीति तैयार की गई थी, तभी सूखे और बाढ़ के प्रबंधन की दिशा में एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई और उसे बल दिया गया। नदी बेसिन विकास की धारणा राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में निहित है, जिसमें अंतर-बेसिन नदियों के विकास के लिए उप-बेसिन दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत नदी बेसिन के सुनियोजित विकास और प्रबंधन हेतु नदी बेसिन संगठन के निर्माण की आवश्यकता भी महसूस हुई। राष्ट्रीय जल नीति 2012 में इस बात पर बल दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, आजीविका को प्रोत्साहन देने तथा सभी का एक समान और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए लोक न्यास सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के संरक्षण में जल का समान साझा सामुदायिक संसाधन के रूप में प्रबंधन किया जाए।

नदी बोर्ड

नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, नदी बोर्डों की भूमिका की मुख्यतः एक सलाहकार के रूप में कल्पना की जाती है। संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग, 2002 में इसे प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया अधिनियम बनाने की सिफारिश की थी।

अंतर्राज्यीय जल विवाद

कोई अंतर्राज्यीय जल विवाद पैदा होने पर उसका समाधान संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत न्यायाधिकरणों का गठन करके किया जाता है। यह अनुच्छेद ऐसे मामलों में न्यायालयों को भी हस्तक्षेप करने से रोकता है, जो जल की एक विशिष्ट स्थिति को रेखांकित करता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 अनुच्छेद 262 को बल प्रदान करने के लिए बनाया गया था और इसमें अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय हेतु कानूनी तंत्र निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय संदर्शी योजना और लाभ

अनेक लोगों द्वारा दर्शाई गई सतत रुचि से अंतर बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों के अध्ययन को बल मिला। अगस्त, 1980 में, तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (वर्तमान में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने जल संसाधन विकास हेतु एक राष्ट्रीय संदर्शी योजना (एनपीपी) तैयार की। योजना में बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण आदि, की दृष्टि से प्राप्त होने वाले लाभों के अतिरिक्त 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई (सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर तथा भूजल के अधिक उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई) का अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए 140 मिलियन हेक्टेयर की अंतिम

सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 175 मिलियन हेक्टेयर करने, और 34000 मेगावाट (एमडब्ल्यू) विद्युत का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है।

एनपीपी के दो घटक हैं—

(एक) हिमालयी नदियों का विकास; और


(दो) प्रायद्वीपीय नदियों का विकास

एनपीपी की विशिष्ट विशेषता यह है कि जल की अधिकता वाले बेसिन से जल की कमी वाले बेसिन को जल का अंतरण वस्तुतः गुरुत्वाकर्षण के द्वारा और केवल छोटे क्षेत्रों में किया जाएगा, यह कार्य अधिकतम 120 मीटर ऊंची लिफ्ट से किया जाएगा।

प्रस्तावित अन्तर-बेसिन जल अन्तरण लिंक

हिमालय घटक लिंकों के नाम

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा | (8) चुनार-सोन बैराज |
| (2) कोसी - घाघरा | (9) सोन बांध-गंगा की दक्षिणी सहायक नदी |
| (3) गंडक - गंगा | (10) गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्ण रेखा |
| (4) घाघरा - यमुना | (11) सुवर्णरेखा-महानदी |
| (5) शारदा - यमुना | (12) कोसी-मेची |
| (6) यमुना - राजस्थान | (13) फरक्का-सुंदरबन |
| (7) राजस्थान - सावरमती | (14) जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का |
- (क्रम संख्या-1 का विकल्प)



हिमालय नदी विकास घटक

- हिमालय नदी विकास घटक के अंतर्गत मुख्य ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों को गंगा से जोड़ने और गंगा को महानदी से जोड़ने के साथ-साथ नहरों को परस्पर जोड़ कर गंगा की पूर्वी सहायक नदियों में पानी के अतिरिक्त बहाव को पश्चिम की ओर स्थानांतरित करना तथा भारत, नेपाल और भूटान में गंगा और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों पर भण्डारण जलाशयों का निर्माण करना है।

इस घटक से गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ नियंत्रण करने के साथ-साथ 220 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी तथा लगभग 30000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। इससे फरक्का में पानी के बहाव में वृद्धि करने के लिये आवश्यक पानी छोड़ा जा सकेगा जो अन्य बातों के साथ-साथ कोलकाता बंदरगाह पर पानी छोड़ने और पूरे देश में अन्तःस्थलीय नौ परिवहन सुविधाओं के लिए अनिवार्य है।

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ना सम्मिलित है और यह चार प्रमुख भागों में बंटा है—

- (1) महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी नदियों को आपस में जोड़ना और इन बेसिनों में संभावित स्थानों पर भण्डारण जलाशयों का निर्माण करना: कृष्णा, पेन्नार और कावेरी नदियों

के माध्यम से अतिरिक्त पानी को दक्षिण के ऐसे क्षेत्रों में स्थानांतरित करना जहां पानी की आवश्यकता है।

- (2) मुंबई के उत्तर और तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को आपस में जोड़ना: इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में उच्च कोटि के भण्डारण जलाशयों का निर्माण करना और मुंबई के मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से जल की आपूर्ति तथा महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
- (3) केन-चम्बल नदियों को परस्पर जोड़ना: इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जल ग्रिड बनवाना तथा नहरों को आपस में जोड़ना और अधिक से अधिक संख्या में भण्डारण जलाशयों का निर्माण कराना है।
- (4) पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों के बहाव को मोड़ना: पश्चिमी घाटों के पश्चिमी हिस्से में अत्यधिक वर्षा के कारण पानी की कई धाराएं बह निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अतः पश्चिमी हिस्से के नये क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अंतःसंयोजी नहर तंत्र और पर्याप्त भण्डारण जलाशयों की योजना बनाई जा सकती है जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ पानी को पूर्व की ओर भी मोड़ा जा सकता है।

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक से 130 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था और 4000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होने की आशा है।

भारतीय नदी जल सह परियोजना: कुछ तथ्य

- 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जल क्षेत्र के कार्यकारी ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में लगभग 4000 बीसीएम जल वर्षण होता है जिसमें से 1123 बीसीएम उपयोग के लिए उपलब्ध होता है (690 बीसीएम सतही जल से और 433 बीसीएम भूमिगत जल से) इसकी तुलना में पानी के उपयोग का वर्तमान स्तर लगभग 634 बीसीएम है। तथापि नदियों से कुल वार्षिक जल भराव का 80% जून से सितम्बर तक मानसून के महीनों में होता है जिसके कारण अधिकांश पानी का उपयोग नहीं हो पाता।
- केवल ब्रह्मपुत्र उप बेसिन जो भूक्षेत्र का मात्र 6% और जनसंख्या का 4% है कुल जल संसाधनों का 31% उपलब्ध कराता है। तथापि भौगोलिक कठिनाइयों के कारण ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल जल संसाधनों के मात्र 4% का ही बेसिन के अंदर उपयोग हो सकता है।
- देश में लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर निवल भू-क्षेत्र में खेती होती है जिसमें से 65 मिलियन हेक्टेयर (46%) क्षेत्र में सिंचाई के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। 26% क्षेत्र में नहरों से सिंचाई होती है और भूमिगत जल संसाधन से लगभग 63% क्षेत्र में सिंचाई होती है; शेष बचे हुए क्षेत्र विभिन्न प्रकार के लघु क्षेत्र सिंचाई स्रोतों से सिंचे जाते हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र अर्थात् 76 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में खेती वर्षा के मौसम में ही होती है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए)

एनडब्ल्यूडीए की स्थापना 17 जुलाई 1982 को एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। तदुपरांत 1990-91 में एनडब्ल्यूडीए सोसाइटी ने हिमालयी घटक के अध्ययन का कार्य करने का भी निश्चय किया। 2006 में एनडब्ल्यूडीए के कार्यकरण में बदलाव लाते हुए इसे सह परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने तथा राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतःबेसिन सह परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता/व्यवहार्यता (पीएफआर/एफआर) रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। बाद में वर्ष 2011 में एनडब्ल्यूडीए के कार्यों में और परिवर्तन लाया गया और इसे राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अन्तः राज्य सह परियोजनाओं के भी डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई।

उठाए जाने वाले कदम

अतः सह नदी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कई कार्य सम्मिलित हैं जैसे सह परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना, संबंधित राज्यों के बीच वार्तालाप और सहमति बनाना और पड़ोसी देशों से समझौते का प्रारूप तैयार करना यदि सह परियोजना में पड़ोसी देश भी सम्मिलित हों। लिंक के लिये चिह्नित की गई परियोजना और अवसंरचना के डीपीआर तैयार करने के साथ-साथ मूल्यांकन एजेंसियों जिनमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आदिवासी मामले मंत्रालय की स्वीकृति, जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति की तकनीकी, आर्थिक स्वीकृति, नीति आयोग से निवेश और निधियों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक लिंक परियोजना के लिये उपरोक्त प्रक्रिया का स्वतंत्र रूप से पालन किया जाना होता है।

एनडब्ल्यूडीए द्वारा तैयार की गई सभी रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित कर दी जाती हैं। एनडब्ल्यूडीए की सभी महत्वपूर्ण बैठकों में राज्य सरकार के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाता है।

सहमति बनाना

राष्ट्रीय संदर्शी योजना (एनपीपी) के तहत अतिरिक्त पानी साझा करने से संबंधित राज्यों के मामलों पर चर्चा करने और सह परियोजनाओं के डीपीआर तैयार करने के लिये जून 2002 में केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कनसैसस ग्रुप का गठन किया गया जिसमें सीडब्ल्यूसी के अन्य अधिकारी और संबंधित राज्यों के सिंचाई/जल संसाधन विभागों के सचिव सम्मिलित थे। सह परियोजनाओं के डीपीआर तैयार करने के लिये कनसैसस ग्रुप की कई बैठकें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त एनडब्ल्यूडीए के शासी निकाय और सोसाइटी द्वारा अपनी बैठकों में अन्तः राज्य लिंक परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर निरंतर चर्चा होती है।

नदियों के अन्तर्गमन संबंधी कार्य बल

नदियों के अन्तर्गमन के लिये कार्य योजना तैयार करने के लिये 13 दिसम्बर 2002 को एक कार्यबल का गठन किया गया। इस कार्य बल ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना 1 और 2 प्रस्तुत की और

डीपीआर तैयार करने के लिये विचारार्थ विषयों को भी अंतिम रूप दिया। अप्रैल 2003 में प्रस्तुत की गई कार्य योजना-1 में दिसम्बर 2005 तक प्राधिकारियों द्वारा 30 व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर लिये जाने का लक्ष्य रखा गया। अप्रैल 2004 में प्रस्तुत की गई कार्य-योजना-2, मुख्य रूप से अलग-अलग परियोजनाओं का उसकी आर्थिक व्यवहार्यता, उसके सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों, उनकी पुनर्वास योजनाओं के आधार पर मूल्यांकन करने और राज्यों के बीच शीघ्र सहमति बनाने से संबंधित है। यह कार्य पूरा होने के साथ ही कार्य बल का उद्देश्य भी पूरा हो गया और 31 दिसम्बर 2004 से इसे विघटित कर दिया गया।

एनडब्ल्यूडीए के कार्यों की वर्तमान स्थिति

एनपीपी के तहत एनडब्ल्यूडीए ने विभिन्न बेसिन/उप बेसिनों में जल अधिशेष और विपथन बिन्दुओं तक कैचमेंट संबंधी अध्ययन, जलाशयों और लिंक एलाइनमेंट के संबंध में टोपोशीट अध्ययन, जलाशयों की भण्डारण क्षमता का अध्ययन, पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन और व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया है। हिमालय नदी घटक के कोसी-मेची लिंक, जो पूरी तरह से नेपाल में है, को छोड़कर शेष बचे लिंकों के संबंध में क्षेत्र सर्वेक्षण और जांच कार्य पूरे कर लिये गये हैं।

पूरे हो चुके अध्ययनों का विवरण इस प्रकार है:—

एनडब्ल्यूडीए द्वारा एनपीपी के तहत पूरे किये गये अध्ययन/रिपोर्टें				
क्रम सं.	विवरण	हिमालयी घटक	प्रायद्वीपीय घटक	कुल
1.	बेसिन/उप बेसिनों के संबंध में जल अधिशेष अध्ययन	-	137	137
2.	विपथन बिन्दुओं संबंधी जल अधिशेष अध्ययन	19	52	71
3.	जलाशयों का टोपोशीट और भण्डारण क्षमता संबंधी अध्ययन	16	58	74
4.	लिंक एलाइनमेंट का टोपोशीट अध्ययन	19	18	37
5.	लिंक संबंधी पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें (पीएफआर)	14	18	33 (एक लिंक व्यवहार्य नहीं पाया गया)
6.	विशिष्ट लिंकों के संबंध में सर्वेक्षण और जांच कराना तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करना	2 (भारतीय हिस्से) और 7 (प्रारूप एफआर)	14	16

उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर एनडब्ल्यूडीए ने एफआर तैयार करने के लिये 30 लिंकों (16 प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत तथा 14 हिमालय नदी विकास घटक के अंतर्गत) की पहचान की है।

प्रायद्वीपीय और हिमालयी घटक के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्टें, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टें और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने संबंधी स्थिति इस प्रकार है:—

अंतःबेसिन जल अंतरण लिंकों की वर्तमान स्थिति							
क्रम सं.	नाम	संबंधित राज्य	लाभार्थी राज्य	वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	घरेलू और औद्योगिक आपूर्ति (एमसीएम)	पन विद्युत मेगावाट (मे.वा.)	स्थिति
हिमालयी घटक							
1.	मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार (भूतान भी)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	2.08+1.82+ 2.64 = 6.54	-	5287	एफआर प्रगति पर

क्रम सं.	नाम	संबंधित राज्य	लाभार्थी राज्य	वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	घरेलू और औद्योगिक आपूर्ति (एमसीएम)	पन विद्युत मेगावाट (मे.वा.)	स्थिति
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश (नेपाल भी)	बिहार और उत्तर प्रदेश	8.17+0.67+1.74 (नेपाल) = 10.58	48	-	भारतीय हिस्से की एफआर प्रगति पर है।
3.	गंडक-गंगा लिंक	-वही-	उत्तर प्रदेश	37.99+2.41 (नेपाल) = 40.40	700	-	प्रारूप एफआर पूरी हो गई है (भारतीय हिस्से के लिए) और एफआर प्रगति पर है।
4.	घाघरा-यमुना लिंक	-वही-	उत्तर प्रदेश	25.30+1.35 (नेपाल) = 26.65	1391	10884	एफआर पूरी हो गई है (भारतीय हिस्से के लिए)
5.	शारदा-यमुना लिंक	बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड: (नेपाल भी)	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	3.45+0.30 = 3.75	6250	3600	एफआर पूरी हो गई है (भारतीय हिस्से के लिए)
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान	हरियाणा और राजस्थान	0.435+2.442 = 2.877	57	-	ड्राफ्ट एफआर पूरी हो गई है और एफआर प्रगति पर है।
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	-वही-	राजस्थान और गुजरात	5.35+2.04 = 7.39	282	-	ड्राफ्ट एफआर पूरी हो गई है और एफआर प्रगति पर है।
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	बिहार और उत्तर प्रदेश	0.30+0.37 = 0.67	-	-	ड्राफ्ट एफआर पूरी हो गई है और एफआर प्रगति पर है।
9.	सोन बांध-गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियां	बिहार और झारखण्ड	बिहार और झारखण्ड	2.99+0.08 = 3.07	360	95	एफआर प्रगति पर है।
10.	गंगा (फरक्का)-दामोदर सुवर्ण रेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखण्ड	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखण्ड	7.63+0.30+0.55 = 8.48	484	-	ड्राफ्ट एफआर पूरी हो गई है और एफआर प्रगति पर है।
11.	सुवर्ण रेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	0.18+0.365 = 0.545	-	9	ड्राफ्ट एफआर पूरी हो गई है और एफआर प्रगति पर है।
12.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और पश्चिम बंगाल (नेपाल भी)	बिहार	2.99+1.75 (नेपाल) = 4.74	24	3180	पीएफआर पूरी हो गई है। पूरी तरह से नेपाल में स्थित हिस्से के लिए एफआर तैयार की जानी है।
13.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	1.50	184	-	ड्राफ्ट एफआर पूरी हो गई है।
14.	जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का लिंक (जे-टी-एफ) लिंक ⁷	-वही-	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	-	216	1115	एम-एस-टी-जी लिंक का विकल्प नहीं लिया जाना है।
प्रायद्विपीय घटक							
15.	महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक	ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	0.91+3.52 = 4.43	802	445	एफआर पूरी कर ली गई है।
16.	गोदावरी (इंचामपल्ली)-कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	-वही-	-वही-	6.13 ⁸	413	-	एफआर पूरी कर ली गई है।

⁷ एम-एस-टी-जी लिंक का विकल्प (हिमालयन घटक में क्रम सं. 1 पर)।

⁸ एफआर के आधार पर सिंचाई के वार्षिक आंकड़े निकाले गये हैं। डीपीआर स्तर पर ही जब संबंधित राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे; इन राज्यों को सिंचाई में उनके हिस्से का निर्धारण कर दिया जाना है।

क्रम सं.	नाम	संबंधित राज्य	लाभार्थी राज्य	वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	घरेलू और औद्योगिक आपूर्ति (एमसीएम)	पन विद्युत मेगावाट (मे.वा.)	स्थिति
17.	गोदावरी (इंचामपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़	-वही-	2.87 ⁹	237	975	एफआर पूरी कर ली गई है।
18.	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक	ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़	आंध्र प्रदेश	5.82 ¹⁰	162	-	एफआर पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार का इस परियोजना को 2018 तक पूरा करने का विचार है। ¹¹
19.	कृष्णा (अलमट्टी)-पेन्नार लिंक	-वही-	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	1.90+0.68 = 2.58	56	-	एफआर पूरी कर ली गई है।
20.	कृष्णा (श्रीसैलम)-पेन्नार लिंक	-वही-	-	-	-	17	एफआर पूरी कर ली गई है।
21.	कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) लिंक	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	-वही-	5.81 ¹²	124	90	एफआर पूरी कर ली गई है।
22.	पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी	0.49+4.36+0.06 = 4.91	1105	-	एफआर पूरी कर ली गई है।
23.	कावेरी (कट्टालई)-वेगई-गुंडर लिंक	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी	तमिलनाडु	3.38	185	-	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हुई।
24.	केन-बेतवा लिंक (क) केन-बेतवा लिंक चरण-1	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	2.66+3.69 = 6.35	49	78	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण-एक अप्रैल 2010 में पूरी हुई।
	(ख) केन-बेतवा लिंक चरण-2	-वही-	मध्य प्रदेश	0.99	6	-	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण-दो जनवरी 2014 में पूरी हुई।
25.	पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक	मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (आम सहमति बनाते समय उत्तर प्रदेश से परामर्श करने का अनुरोध किया गया)	मध्य प्रदेश और राजस्थान	एएलटी I: 2.05+0.25 = 2.30 (एएलटी II: 1.77+0.43 = 2.20)	13.2	-	व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हुई। सम्मिलित राज्यों के बीच आम सहमति की आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी शुरू नहीं की गई।
26.	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	गुजरात	1.69	-	32.50	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अगस्त 2015 में पूरी हुई।
27.	दमनगंगा-पिन्जल लिंक	महाराष्ट्र और गुजरात	महाराष्ट्र (केवल मुंबई को जलापूर्ति)	-	895	-	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च 2014 में पूरी हुई।
28.	बेदिती-वरदा लिंक	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	कर्नाटक	0.60	-	4	पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हुई।
29.	नेत्रवती-हेमावती लिंक	कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल	कर्नाटक	0.34	-	-	पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हुई।
30.	पम्बा-अचनकोबिल-वैप्पार लिंक	केरल और तमिलनाडु	तमिलनाडु	0.91	-	508	पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हुई।

एफआर - व्यवहार्यता रिपोर्ट, पीएफआर - पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट, डीपीआर - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, एस एंड आई - सर्वेक्षण और जांच, एमसीएम - मिलियन क्यूबिक मीटर, एमडब्ल्यू - मेगावाट

⁹ तदेव

¹⁰ तदेव

¹¹ 7 मार्च 2015 को राज्य विधानमंडल में आंध्र प्रदेश के गवर्नर द्वारा दिया गया भाषण।

¹² एफआर के आधार पर सिंचाई के वार्षिक आंकड़े निकाले गये हैं। डीपीआर स्तर पर ही जब संबंधित राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे; इन राज्यों को सिंचाई में उनके हिस्से का निर्धारण कर दिया जाना है।

इस समय, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो बिना वन के (हिमालय घटक में क्रम सं. एक) नया वैकल्पिक संरक्षण है और भारतीय भाग में एनपीपी के अंतर्गत अन्य 8 अंतर-बेसिन लिंक (हिमालय घटक में क्रम सं. 2, 3 और 6-11) तैयार कर रहा है।

चिंताएं और आशंकाएं

एक. हिमालय घटक

- हिमालय घटक में प्रस्तावित भंडारण और पांच जल अंतरण लिंकों अर्थात् कोसी-मेची-कोसी-घागरा, गंडक-गंगा, घाघरा-यमुना और शारदा-यमुना की आरंभिक पहुंच नेपाल में पड़ रही है और मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा और जोगीघोषा-तिस्ता-फरक्का¹³ भूटान में पड़ रहे हैं। नेपाल और भूटान में सर्वेक्षण और जांच करने के लिए संबंधित देशों की अनुमति अनिवार्य है।
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने पड़ोसी देशों के क्षेत्रों में सर्वेक्षण और जांच कार्य करने के लिए इन देशों से अनुमति प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। यह बताया गया कि भूटान में, संकोष पर एक बहुप्रयोजन परियोजना पर विचार किया जा रहा है और भूटान की शाही सरकार ने इस परियोजना को पुनः शुरू करने में रुचि जाहिर की थी। बाद में संकोष परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अद्यतन का कार्य टिहरी जल विद्युत विकास निगम को सौंप दिया गया था और उन्होंने यह कार्य प्रारंभ कर दिया था। मानस बांध का मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमालय घटक से प्रायद्वीपीय घटक में जल का अंतरण मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक पर निर्भर करता है और संकोष तथा मानस दोनों बांध मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा

लिंक के लिए अनिवार्य हैं। तथापि, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के बीच 20 मई, 2009 को हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संकोष बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और भूटान सरकार के इससे सहमत होने के पश्चात् मानस बांध के मामले को अलग से उठाना उचित होगा।

- नेपाल में स्थित भंडारण बांधों के लिए उसके साथ द्विपक्षीय तकनीकी चर्चा चल रही है। तकनीकी चर्चाओं के पश्चात् इस संबंध में उच्चस्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी।
- भारत के आईएलआर कार्यक्रम के संबंध में बंगलादेश द्वारा व्यक्त चिंता के संबंध में भारतीय पक्ष ने 19 सितम्बर से 21 सितम्बर, 2005 को ढाका में हुई भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक में यह दोहराया कि भारत नदी अन्तर्योजन की प्रस्तावित परियोजना के हिमालय घटक पर ऐसा कोई एकपक्षीय निर्णय नहीं लेगा जिससे बंगलादेश प्रभावित हो। हिमालय क्षेत्र में कोई भी लिंक संबंधी कार्य तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक पड़ोसी देशों की चिंताओं की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच नहीं की जाती और उन्हें दूर नहीं किया जाता।

दो. प्रायद्वीपीय घटक

नीचे नदियों को आपस में जोड़ने की उन प्रस्तावित परियोजनाओं, जो इस समय विचाराधीन हैं, की व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शुरू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आपत्तियां उठाई गई हैं—

क्रम सं.	लिंक परियोजना का नाम	संबंधित राज्य
1.	बेदिती-वेरदा लिंक	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
	उठाई गई आपत्ति: कर्नाटक सरकार ने अगस्त, 2005 में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। तथापि, ऐसी किसी भी परियोजना के विरुद्ध स्थानीय स्तर पर (उत्तर कन्नड़ जिला) विरोध किया जाता है क्योंकि इससे उस क्षेत्र का पर्यावरण/पारिस्थितिकी भी परिवर्तित होगी। संबंधित गैर-सरकारी संगठन (बेदिती अघना शीनीकोला, समरक्षणा समिति) ने सुझाव दिया है कि संपूर्ण उत्तर कन्नड़ जिले हेतु एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित है।	
2.	पम्बा-अचनकोविल-वैप्पार लिंक	तमिलनाडु और केरल
	उठाई गई आपत्ति: केरल विधान सभा ने लिंक परियोजना (2003) को शुरू करने के विरुद्ध एक संकल्प पारित किया है।	
3.	पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक	मध्य प्रदेश और राजस्थान
	उठाई गई आपत्ति: मध्य प्रदेश सरकार इस लिंक परियोजना के बदले अंतर राज्य लिंक कार्यान्वित करना चाहती है।	

¹³मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक (हिमालय घटक में क्रम सं. 1) का विकल्प।

क्रम सं.	लिंक परियोजना का नाम	संबंधित राज्य
4.	महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी लिंक	ओडिशा
	<p>उठाई गई आपत्ति: ओडिशा सरकार महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक, जो कि नौ लिंक प्रणालियों का मूल लिंक है, के अंतर्गत प्रस्तावित मणिभद्रा बांध में बड़े क्षेत्र के जलमग्न होने के कारण इस लिंक परियोजना से सहमत नहीं थी। जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार के सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना का एक प्रारंभिक संशोधित प्रस्ताव तैयार किया है जिसके अंतर्गत कम क्षेत्र जलमग्न होगा और इसे ओडिशा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिनांक 29 मई, 2015 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के समक्ष महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना का संशोधित प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। ओडिशा सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित है। ओडिशा सरकार से प्राप्त उत्तर के आधार पर राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण संशोधित प्रस्ताव की प्रौद्योगिकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करेगा और उसके पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसी बीच, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की को महानदी बेसिन के जल संतुलन अध्ययन का समीक्षा कार्य सौंपा गया है।</p>	
5.	नेत्रवती-हेमावती लिंक	कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु
	<p>उठाई गई आपत्ति: नेत्रवती के अंतर-राज्य नदी होने के कारण कर्नाटक सरकार इसके जल का अपनी योजना के अनुसार उपयोग करना चाहती है।</p>	

कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की टिप्पणियां

कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) नदियों को आपस में जोड़ने की संकल्पना का समर्थन करता है क्योंकि इससे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी। यह बाढ़ के जोखिम और सूखे के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होगी। तथापि, मंत्रालय का यह मत है कि “नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना” को शुरू करने से पहले लागत प्रभाविकता, पर्यावरणीय सततता और जैवविविधता मुद्दों तथा विस्थापित जनसंख्या के लिए पर्याप्त पुनर्वास उपायों पर भी विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसी परियोजनाओं को विकसित करते समय जलवायु परिवर्तन प्रभावों पर विचार करने के अलावा बेसिन-वार चुनौतियों और उनके पारिस्थितिकी संरक्षण की भी जांच करने की आवश्यकता है।

एनपीपी के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त लिंक

व्यवहार्यता रिपोर्ट के पूरा होने के पश्चात् कार्य बल की रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पांच प्रायद्वीपीय लिंकों की प्राथमिक लिंकों के रूप में पहचान की गई है। ये निम्नलिखित हैं—

एक. केन-बेतवा

दो. पार्वती-कालीसिंध-चंबल

तीन. दमनगंगा-पिन्जल

चार. पार-तापी-नर्मदा

पांच. गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा)

उपर्युक्त पांच लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने की स्थिति निम्नवत् है:—

क्रम सं.	लिंक/परियोजना का नाम	नदियां	संबंधित राज्य
1(क)	केन-बेतवा (चरण-एक)	केन और बेतवा	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
	<p>स्थिति: चरण-एक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो गई है और यह केन्द्रीय जल आयोग के मूल्यांकनाधीन है। पर्यावरण, वन और वन्यजीव, भूमि विपथन और प्रौद्योगिकी-आर्थिक स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों को पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से सुलझाया जा रहा है। अनेक स्वीकृतियां लगभग मिलने ही वाली हैं।</p>		
1(ख)	केन-बेतवा (चरण-दो)	केन और बेतवा	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
	<p>स्थिति: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो गई है और जनवरी, 2014 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को प्रस्तुत की जा चुकी है। वन भूमि विपथन से संबंधित मुद्दों को पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ सक्रिय ढंग से सुलझाया जा रहा है।</p>		
2.	दमनगंगा-पिन्जल	दमनगंगा और पिन्जल	गुजरात और महाराष्ट्र
	<p>स्थिति: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च, 2014 में पूरी हो गई थी तथा इसे अप्रैल, 2014 में महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के पास भेजा जा चुका है।</p>		

क्रम सं.	लिंक/परियोजना का नाम	नदियां	संबंधित राज्य
3.	पार-तापी-नर्मदा	पार, तापी और नर्मदा	गुजरात और महाराष्ट्र
	स्थिति: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अगस्त, 2015 में पूरी हो गई थी तथा इसे महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के पास भेजा जा चुका है।		
4.	पार्वती-कालीसिंध-चंबल	पार्वती, कालीसिंध और चंबल	मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (आम सहमति बनाते समय उत्तर प्रदेश से परामर्श करने का अनुरोध किया गया)
	स्थिति: राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शुरू नहीं की गई है। अब मध्य प्रदेश सरकार लिंक परियोजना के पक्ष में नहीं है। तथापि, राजस्थान सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण इस संबंध में मध्य प्रदेश के विचारों के बावजूद लिंक परियोजना के मुद्दे को खुला रखेगा।		
5.	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा)	गोदावरी और कृष्णा	ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़
	स्थिति: यह लिंक आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना का एक हिस्सा है। आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने लिंक घटक सहित उपर्युक्त परियोजना को अपनी योजना के अनुसार शुरू किया था। अब, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 90 के अनुसार पोलावरम सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एक पोलावरम परियोजना प्राधिकरण गठित किया है। पोलावरम परियोजना राष्ट्रीय परियोजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। ¹⁴ राज्य सरकार का इस परियोजना को 2018 तक पूरा करने का विचार है। ¹⁵		

केन-बेतवा लिंक परियोजना

चरण-एक

विद्यमान गंगाऊ वेयर से लगभग 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम केन नदी के ऊपर दाऊधन पर 2953 मिलियन क्यूबिक मीटर की भारी क्षमता के साथ एक 77 मीटर ऊंचा बांध प्रस्तावित है और यह केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करने हेतु एक लिंक नहर है। इस जलाशय में 9000 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न होगा जिसमें से 5803 हेक्टेयर क्षेत्र पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें 4141 हेक्टेयर वन भूमि है जो कुल पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र का लगभग 7.6 प्रतिशत है। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग सहित लिंक नहर की कुल लंबाई 221 किलोमीटर होगी। परियोजना की कुल लागत 2007-08 के मूल्य के अनुसार लगभग 9,393 करोड़ रुपये होगी। केन-बेतवा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किया गया है और यह प्रधानमंत्री के बुंदेलखंड पैकेज का भी हिस्सा है।

चरण-दो

इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा की सहायक नदी 'लोवर ओर नदी' के ऊपर एक बड़ा बांध नीमखेड़ा, बरारी, कोठा और केसरी पर चार बांध बनाए जाएंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,283 करोड़ रु. है।

गोदावरी और कृष्णा नदियों का अन्तर्गर्जन¹⁶

गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना का भाग है। पोलावरम बांध, जिसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है, उसका कार्य पूरा होने और चालू होने में अभी चार से पांच वर्ष का और समय लगने की सम्भावना है। गोदावरी और कृष्णा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना जिसका कार्य मार्च, 2015 में आरम्भ हुआ था को गोदावरी नदी से बाढ़ के अधिशेष जल को दाहिनी मुख्य नहर में छोड़कर 16 सितम्बर, 2015 को आंशिक रूप से चालू किया गया था। गोदावरी के जल को कृष्णा बेसिन से जोड़ने के कार्य को पश्चिम गोदावरी जिले में पट्टीसीमा गाँव में गोदावरी नदी पर पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से संभव बनाया जा रहा है।

राज्यों द्वारा चिन्हित अन्तःराज्यीय लिंकों के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त लिंक

अब तक एनडब्ल्यूडीए को महाराष्ट्र, गुजरात, झारखण्ड, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ नौ राज्यों से अन्तःराज्यीय लिंकों के 46 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से एनडब्ल्यूडीए द्वारा अक्टूबर, 2015 तक 35 अन्तःराज्यीय लिंकों के संबंध में पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार कर ली गई है।

अब तक पूर्ण/आरम्भ हो चुके, अन्तःराज्यीय लिंकों के डीपीआर की तैयारी संबंधी ब्यौरा/स्थिति इस प्रकार है:—

क्रम सं.	लिंक का नाम	नदियां	संबंधित राज्य
1.	बूढ़ी गंडक-नून-बया-गंगा लिंक	बूढ़ी गंडक और गंगा	बिहार
	स्थिति: डीपीआर तैयार कर ली गई है और 30 दिसम्बर, 2013 के एनडब्ल्यूडीए के पत्र के माध्यम से बिहार सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है।		

¹⁴पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 4 जून, 2015।

¹⁵आंध्र प्रदेश के गवर्नर द्वारा 7 मार्च, 2015 को राज्य विधायिका में दिया गया भाषण।

¹⁶आंध्र प्रदेश सरकार से 29 सितम्बर, 2015 को प्राप्त जानकारी के अनुसार।

क्रम सं.	लिंक का नाम	नदियां	संबंधित राज्य
2.	कोसी-मेची लिंक	कोसी और मेची	बिहार
	स्थिति: डीपीआर तैयार कर ली गई है और 2 अप्रैल, 2014 के एनडब्ल्यूडीए के पत्र के माध्यम से बिहार सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है।		
3.	पोन्नैयार-पलार लिंक	पोन्नैयार और पलार	तमिलनाडु
	स्थिति: डीपीआर तैयार करने का कार्य चल रहा है और उसे दिसम्बर, 2015 तक पूरा कर लिया जायेगा।		
4.	वैनगंगा (गोसीखुर्द)-नालगंगा (पूर्ण तापी) लिंक	वैनगंगा और पूर्ण तापी	महाराष्ट्र
	स्थिति: डीपीआर तैयार करने का कार्य चल रहा है और उसे मार्च, 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा।		
5.	बड़कर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक	बड़कर, दामोदर और सुबर्णरेखा	झारखण्ड
	स्थिति: बड़कर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक का डीपीआर तैयार करने का कार्य 2014-15 में आरम्भ किया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति के दृष्टिगत 30 अक्टूबर, 2015 को सर्वसम्मति बनाने के लिए उप समिति-3 की दूसरी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पहले बड़कर-सुबर्णरेखा लिंक की पूर्ण-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) में संशोधन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित राज्यों के परामर्श पर संशोधित पीएफआर के पूरा होने पर डीपीआर तैयार करने की कार्यवाही आरम्भ की जाएगी।		

जल संसाधन संबंधी विभागों से संबद्ध स्थायी समिति

जल संसाधन संबंधी विभागों से संबद्ध स्थायी समिति एनडब्ल्यूडीए और आईएलआर परियोजना से संबंधित मामलों की बारीकी से निगरानी कर रही है। समिति ने 23 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन (प्रथम प्रतिवेदन 14वीं लोक सभा) में अन्य बातों के साथ-साथ यह नोट किया कि एनडब्ल्यूडीए वैज्ञानिक आधार पर जल संतुलन संबंधी अध्ययन कर रहा है। आईएलआर परियोजना का समर्थन करते हुए इसने सरकार से कड़े कदम उठाने तथा एफआर को पूरा करने, डीपीआर तैयार करने तथा परियोजनाओं को पूरा करने हेतु एक निश्चित समय-सीमा तय करने और इस संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करने की पुरजोर सिफारिश की ताकि उन्हें तैयार किया जा सके और एक समुचित समय और लागत के अंदर उनसे लाभ प्राप्त हो सके। स्थायी समिति ने यह महसूस किया कि यदि हिमालयी और दक्षिण क्षेत्र की नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य एक निश्चित समय-सीमा में पूरा कर लिया जाता है तो इससे देश को बार-बार पड़ने वाले सूखे और बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों से बचाया जा सकता है।

तदनन्तर, समिति ने अक्टूबर, 2008 में पेश किये गए प्रतिवेदन (ग्यारहवां प्रतिवेदन, चौदहवीं लोक सभा) में 'नदियों के अन्तर्गर्जन' विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में सरकार को सलाह दी।

समिति की कुछ उल्लेखनीय सिफारिशों को सरकार ने अप्रैल, 2010 में प्रस्तुत की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन के द्वारा स्वीकार किया जो इस प्रकार है:—

- सरकार को अध्ययन कराना चाहिए जिससे लगभग दो से तीन दशक की अवधि में राष्ट्रीय संदर्श योजना में यथा निर्दिष्ट जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- 'जल' के विषय को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाये जाने की आवश्यकता है अथवा केंद्र सरकार द्वारा सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अंतर्गत कानून बनाये जाने की आवश्यकता है।
- नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य को परामर्शी प्रक्रिया बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस संबंध में गठित पर्यावरणविदों, समाज विज्ञानियों और अन्य विशेषज्ञों की समिति द्वारा व्यक्त सभी

शंकाओं का केन-बेतवा लिंक का डीपीआर तैयार करने के समय समाधान किया जाएगा और बाकी सब लिंकों का डीपीआर तैयार करते समय यह मॉडल का काम करेगा।

- विभिन्न लिंकों की डीपीआर को अंतिम रूप देते समय संबंधित प्राधिकारियों को उन व्यक्तियों/विशेषज्ञों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत लिंकों के विकल्प के रूप में दिए गए सुझावों/प्रस्तावों/योजनाओं के बारे में खुले दिमाग से पुनर्विचार करना चाहिये जो उन्होंने समिति द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने के लिए मांगे जाने पर भेजे थे भले ही सीडब्ल्यूसी, एनडब्ल्यूडीए और अन्य संगठनों के विशेषज्ञों का स्वायत्त गुप उनसे सहमत न रहा हो।

नदियों के अन्तर्गर्जन संबंधी विशेष समिति

27 फरवरी, 2012 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने 'नदियों की नेटवर्किंग' के बारे में 2002 में दायर दो रिट याचिकाओं [याचिका (सिविल) सं. 512 और 668] का निस्तारण करते हुए भारत सरकार को नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने का निदेश दिया।

इसके अनुसरण में 23 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना द्वारा 'नदियों के अन्तर्गर्जन के लिए विशेष समिति' का गठन किया गया। इस विशेष समिति की पहली बैठक 17 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में विभिन्न राज्य सरकारों के सचिवों सहित राज्य के सिंचाई/जल संसाधन मंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार नदियों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य को शीघ्र पूरा करने के लिए उपसमितियां गठित करने का निर्णय लिया गया। 6 जनवरी, 2015, 19 मार्च, 2015, 14 मई, 2015, 13 जुलाई, 2015 और 15 सितम्बर, 2015 को क्रमशः समिति की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी बैठक हुई। समिति इन परियोजनाओं में गति लाने के लिए हितधारकों के परामर्श से नदियों को जोड़ने के प्रस्तावों की समीक्षा करती है।

कार्यबल

14 अप्रैल, 2015 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के एक कार्यबल का गठन किया, जिसका उद्देश्य देश में नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित मुद्दों की जांच करना था। श्री बी.एन. नवलवाला की अध्यक्षता में गठित कार्यबल नदियों को आपस में जोड़ने के

कार्य में तेजी लाने के लिए सभी मुद्दों की जांच करेगा। कार्यबल हिमालय और प्रायद्वीपीय घटकों के अंतर्गत राष्ट्रीय संदर्श योजना के अनुसार विहित मौजूदा लिंकों की जांच करने के अलावा वर्तमान योजना में अव्यवहार्य लिंकों के स्थान पर वैकल्पिक योजनाओं पर विचार करेगा। इससे राज्यों और बेसिनों में लिंकों के अलावा राज्यों और बेसिनों के बीच नदियों को जोड़ने में मदद मिलेगी। यह सभी लिंकों के व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर पूरा करने की समय-सूची, सभी लिंकों के कार्यान्वयन कार्यक्रम निर्धारित करने की सिफारिश करेगा और नदियों को आपस में जोड़ने के लिए तंत्रों के वित्तपोषण के विभिन्न उपायों के सुझाव देगा। यह कार्यबल आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों और पुनर्वास योजनाएं तैयार करने के संबंध में प्रत्येक परियोजना के आकलन के मानदण्डों के बारे में मार्गदर्शन भी करेगा। यह राज्यों के बीच शीघ्र सर्वसम्मति बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करेगा और नदियों के अन्तर्गोचन के प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे का प्रस्ताव भी करेगा। कार्यबल की दो बैठकें 23 अप्रैल, 2015 और 5 नवम्बर, 2015 को आयोजित हुई हैं।

वित्तीय पहलू

राज्यों द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे अंतः राज्यीय लिंकों के साथ-साथ एनपीपी के अंतर्गत लिंकों के सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल और एफआर तथा डीपीआर की तैयारी के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान “नदी बेसिन प्रबंधन”¹⁷ योजना के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के ज्ञापन में एनडब्ल्यूडीए के क्रियाकलापों के लिए 280 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। बारहवीं योजना के लिए अनुमानों/वास्तविक राशि की स्थिति नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अनुमानित (बजट/संशोधित/ वास्तविक)	योजना का नाम- नदी बेसिन प्रबंधन बजट-मुख्य शीर्ष 2701 और 4701
2012-13	बजट अनुमान	51.30 ¹⁸
	संशोधित अनुमान	43.40 ¹⁹
	वास्तविक	43.40 ²⁰
2013-14	बजट अनुमान	63.20
	संशोधित अनुमान	50.30
	वास्तविक	50.30
2014-15	बजट अनुमान	60.00
	संशोधित अनुमान	62.00
	वास्तविक	62.00
2015-16	बजट अनुमान	69.00

- बारहवीं योजना हेतु अनुमोदित अनुदान-280.00 करोड़ रुपये।
- वर्ष 2014-15 से (बजट-मुख्य शीर्ष 2701) नदियों को जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित अनुमान-10.00 करोड़ रुपये।
- एनडब्ल्यूडीए द्वारा प्रारंभ से संचयी व्यय-508.35 करोड़ रुपये (मार्च 2015 तक)।

नदियों के अन्तर्गोचन (आईएलआर) कार्यक्रम की लागत

कार्यबल/एनडब्ल्यूडीए द्वारा संपूर्ण आईएलआर कार्यक्रम की लागत 2002-03 की कीमत पर 5,60,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईईआर) ने “इकोनोमिक इम्पैक्ट ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोग्राम” (2008) नामक शीर्षक के अपने प्रतिवेदन में यह कहते हुए आंकड़े में संशोधन किया कि अनुमानों में 30 लिंकों की लागत ली गई है, जबकि केवल 29 लिंक ही हैं। जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का (जे-टी-एफ) लिंक मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) का एक वैकल्पिक लिंक है और इन दोनों लिंकों में से केवल एक का ही निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त, एक बेहतर अनुमान तक पहुंचने के क्रम में, 10 प्रतिशत वार्षिक की स्थिर वृद्धि दर के स्थान पर एक अधिक सार्थक वृद्धि कारक-विनिर्माण हेतु सरकारी निवेश अपस्फीतक प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, एक बार जब एक-एक लिंक के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डीपीआर) को तैयार किया जाएगा, तब इसकी लागत में बदलाव आएगा। वैकल्पिक लिंकों (एम-एस-टी-जी या जे-टी-एफ) को ध्यान में रखते हुए, लागत अनुमानों के दो विकल्पों को तैयार कर लिया गया है:-

- एम-एस-टी-जी लिंक के साथ संपूर्ण कार्यक्रम की नई समग्र लागत 2003-04 की कीमतों पर 4,44,331.20 करोड़ रुपये आंकी गई है।
- जे-टी-एफ लिंक के साथ संपूर्ण कार्यक्रम की नई समग्र लागत 2003-04 की कीमतों पर 4,34,657.13 करोड़ रुपये आंकी गई है।

निष्कर्ष

आईएलआर कार्यक्रम सिंचाई की अनिश्चितताओं को कम करने और बाढ़ तथा सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को न्यून करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। एक बार जब लिंक नहर बन जाएगी, तब उसे सड़क/रेल परिवहन पर दबाव को कम करते हुए यातायात हेतु जलमार्ग के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए, देश के विकास के लिए इस कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार आवश्यक परामर्श की प्रक्रिया के साथ नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के कार्यान्वयन के प्रति वचनबद्धता व्यक्त कर चुकी है और यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार किया जाए। यद्यपि, आईएलआर कार्यक्रम से प्रमुख और प्रत्यक्ष लाभ कृषि और कृषि पर निर्भर परिवारों को होगा, तथापि, बढ़े हुए कृषि उत्पादन के कारण संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। अन्य क्षेत्रों का विकास शेष अर्थव्यवस्था के साथ विनिर्माण क्षेत्र के बैकवर्ड लिंकेज और फारवर्ड लिंकेज की ताकत पर निर्भर करेगा। विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की आपूर्ति करने वाले क्षेत्रों का उत्पादन जैसे ही बढ़ेगा, इससे अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था पर आईएलआर कार्यक्रम का पूर्ण प्रभाव तभी प्राप्त होगा, जब विनिर्माण पूरा हो जाएगा, जलाशय भर जाएंगे और सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक कार्यों और जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी अंतिम प्रयोगकर्ता तक पहुंचेगा।

¹⁷दो विद्यमान योजनाओं “नदी बेसिन प्राधिकरण संगठन” और “जल संसाधन योजना की छानबीन” का विलय करके वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान एक नई योजना बनाई गई।

¹⁸मुख्य शीर्ष के लिए केवल 2701

¹⁹तदेव

²⁰तदेव

स्त्रोत:

1. नदियों के अन्तर्गोर्जन के संबन्ध में स्थिति टिप्पण, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, दिनांक 6.12.2014।
2. बजट भाषण 2014-15 के कार्यान्वयन की स्थिति।
3. पीआईबी-प्रेस विज्ञप्ति।
4. लोक सभा और राज्य सभा के प्रश्नों का उत्तर।
5. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (<http://wrmin.nic.in>); राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (<http://nwda.gov.in>); भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली (<http://india-wris.nrsc.gov.in>); और केन्द्रीय जल आयोग (<http://cwc.nic.in>)।
6. देश में नदी परियोजनाओं के अन्तर्गोर्जन के संबन्ध में टिप्पण- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की वेबसाइट पर 21.1.2015 के अनुसार विवरण और स्थिति (http://nwda.gov.in/writeread_data/main_link_file/File_423.pdf)।
7. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का परिणाम बजट 2012-13, 2013-14 और 2014-15।
8. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के बजट प्रावधान, 2015-16।
9. भारत का संविधान।
10. राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के प्रतिवेदन “नदियों के अन्तर्गोर्जन संबन्धी कार्यक्रम का आर्थिक प्रभाव” अप्रैल 2008।
11. राष्ट्रीय जल नीति, 2012।
12. एस.आर. सिंह और एम.पी. श्रीवास्तव (संपादकगण), “रिवर इंटरलिंगिंग इन इंडिया: द ड्रीम एंड रिएलिटी”, दीप और दीप पब्लिकेशन प्राइवेट लि., नई दिल्ली, 2006।
13. वी.पी. जौहरी, सस्टेनिंग रिवर लिंगिंग, मित्रल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005।
14. तुषार शाह, उपाली अमरसिंघे और पीटर मैक कार्निक, “इंडियाज रिवर लिंगिंग प्रोजेक्ट: द स्टेट ऑफ द डिबेट”, भारत के राष्ट्रीय नदी अन्तर्गोर्जन परियोजना की कार्यवाही (एनआरएलपी) की रणनीतिक विश्लेषण की पत्र शृंखला-2, एनआरएलपी के जलवैज्ञानिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी मुद्दों के विश्लेषण पर कार्यशाला की कार्यवाही, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली, 2008।
15. कृषि मंत्रालय से दिनांक 14 मई, 2015, 31 जुलाई, 2015 और 31 अगस्त, 2015 को जारी जानकारीयां।
16. विभागों से संबंधित जल संसाधन संबन्धी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित दस्तावेज।
17. बृज मोहन और अन्य; 6 से 9 मई, 2014 तक हनोई, वियतनाम में आयोजित “कैपेसिटी डेवलपमेंट टू सपोर्ट नेशनल ड्राट मैनेजमेंट पॉलिसिज” विषय पर यू एन-वाटर इनिशिएटिव के भाग के रूप में एशिया पैसिफिक के लिए रीजनल कार्यशाला हेतु तैयार की गई कंट्री रिपोर्ट “ड्राट कंडीशंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजिस इन इंडिया”।
18. वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट (<http://wri.org/floods>) पर दिए गए दस्तावेज।
19. यूएनईएससीएपी की रिपोर्ट “डिजास्टर्स इन एशिया एंड द पैसिफिक: 2014 इन रिव्यू”।
20. 7 मार्च, 2015 को आंध्र प्रदेश विधान सभा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का अभिभाषण और 12 मार्च, 2015 को वित्त मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार का बजट भाषण 2015-16।
21. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 29 सितम्बर, 2015 को प्रदान की गई जानकारी।

संसद सदस्यों के प्रयोग और जानकारी के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर श्री अभिजीत कुमार, संयुक्त सचिव और डॉ. दिलीप कुमार सिंह, निदेशक की निगरानी में डॉ. जयदेव साहू, अपर निदेशक और श्रीमती नलिनाक्षी त्रिखा, संयुक्त निदेशक, लोक सभा सचिवालय द्वारा तैयार किया गया। इस बुलेटिन का हिन्दी संस्करण संपादन और अनुवाद सेवा की निदेशक, श्रीमती सरिता नागपाल, अपर निदेशक, श्री अजीत सिंह यादव, संयुक्त निदेशक, श्री विजय के. अस्थाना और संपादक, श्रीमती निशा शर्मा के मार्गनिर्देशन में तैयार किया गया।